



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर

दिनांक 28.01.2025

**थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 70/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.01.2025 वादी श्री सलमान पुत्र सफीक अहमद निवासी ग्राम निजामतपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 27/28.01.2025 की रात्रि में अभियुक्त हारुन पुत्र सदरुद्दीन निवासी ग्राम बडकला थाना मंडावर जनपद बिजनौर को घर में चोरी करते हुये चोरी के सामान सहित पकड लिया था तथा हारुन उपरोक्त का एक साथी अकरम पुत्र शमीम निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर मौका पाकर फरार हो गया था । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 70/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त हारुन पुत्र सदरुद्दीन निवासी ग्राम बडकला थाना मंडावर जनपद बिजनौर को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- हारुन पुत्र सदरुद्दीन निवासी ग्राम बडकला थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

02 जोडी पाजेब सफेद धातू

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त –

मु0अ0सं0 63/23 धारा 323/324/325/504/506 भादवि व 3(1)द,घ/3(2)va एससी/एसटी एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

मु0अ0सं0 70/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- एचएम चेतन सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी विश्वेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी रोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 28.01.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 68 / 25 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी की गाय सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.01.2025 को वादी श्री दिलावर सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी शांति नगर कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जमशीद पुत्र मुकीम हाजी 2.मुंशीद पुत्र मुकीम हाजी निवासीगण ग्राम टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की गाय को चोरी करके ले जाते समय पकड लिया तथा थाना कोतवाली शहर पुलिस को सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 68 / 25 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 28.01.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1.जमशीद पुत्र मुकीम हाजी 2.मुंशीद पुत्र मुकीम हाजी निवासीगण ग्राम टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी की गाय सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.जमशीद पुत्र मुकीम हाजी निवासी ग्राम टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2.मुंशीद पुत्र मुकीम हाजी निवासी ग्राम टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- मुख्य आरक्षी 178 चेतन सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2- आरक्षी 2498 विश्वेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 3- आरक्षी 2608 पंकज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना मंडावली

दिनांक 28.01.2025

थाना मंडावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 173/24 धारा 69/351(2) में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.12.2024 को वादिया ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि अभियुक्त शाहरुख पुत्र इस्तेखार निवासी ग्राम भागूवाला थाना मंडावली जनपद बिजनौर ने वादिया को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर गलत काम किया । इस संबंध में थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 173/24 धारा 69/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।



कार्यवाही –

थाना मंडावली पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शाहरुख पुत्र इस्तेखार निवासी ग्राम भागूवाला थाना मंडावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहरुख पुत्र इस्तेखार निवासी ग्राम भागूवाला थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 संजय सिंह थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
- 2-आरक्षी दीपक कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट—जनपद बिजनौर

दिनांक 28.01.2025

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में थाना शिवालाकलां पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.04.2023 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नत्थू सिंह निवासी ग्राम आजमगढ उर्फ रतनगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि वादी के चचेरे भाई की अज्ञात अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार से सिर व माथे पर वार कर हत्या कर दी तथा शव को रतनगढ—शादीपुर मिलक रोड के किनारे झाडी में छिपा दिया। जिस संबंध में थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 69/23 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 28.01.2025 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-01 जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त ओमपाल सिंह पुत्र रामदास सिंह निवासी ग्राम आजमगढ उर्फ रतनगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को **आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

ओमपाल सिंह पुत्र रामदास सिंह निवासी ग्राम आजमगढ उर्फ रतनगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर